भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1904

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों का विरोध प्रदर्शन

1904. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने पर विचार किया है;

(घ) पिछले दो महीनों में किसान संगठनों के साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों की लंबी भूख हड़ताल के मद्देनजर प्रदर्शनकारी किसानों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.): भारत सरकार ने पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसानों के विरोध का समाधान करने के लिए किसानों से वार्ता शुरू की थी। किसानों के साथ पहली चर्चा 8 फरवरी 2024 को हुई थी। इसके बाद 12, 15, 18 फरवरी 2024, 14 फरवरी 2025 और 22 फरवरी 2025 को चर्चाएं हुईं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार ने 12 जुलाई 2022 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक समिति का गठन किया है;

(i) पद्धति को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाकर देश के किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के सुझाव;

(ii) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता पर सुझाव तथा इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय;

(iii) देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार, कृषि विपणन पद्धति को मजबूत करना जिससे घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिला कर उनका उच्च मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

अब तक इस समिति की 6 बैठकें तथा इसकी विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें हो चुकी हैं।

आंदोलनकारी किसानों और उनकी मांगों से संबंधित मुद्दे, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन हैं और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समिति भी गठित की गई है।

किसानों के साथ अगली चर्चा 19 मार्च, 2025 को निर्धारित की गई है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का विषय है।

*****